Topic 1 :– हिंदू विवाह व सुप्रीम कोर्ट का हालिया निर्णय

चर्चा में क्यों :- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा है कि बिना रीति रिवाज के किया गया विवाह हिंदू पद्धति के तहत नहीं माना जाएगा।

हम इस चलन की निंदा करते हैं, जिसमें युवा महिलाएं और पुरुष पति-पत्नी का स्टेटस पाने के लिए ऐसी शादी करते हैं, जिसमें हिंदू मैरिज एक्ट के तहत विवाह संस्कार नहीं होते हैं। :– सुप्रीम कोर्ट

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका को खारिज कर दिया यह याचिका दो पायलेंटो के द्वारा दर्ज की गई थी जिसमें इन लोगों के द्वारा बिना हिंदू रीति रिवाज के विवाह करने के बाद भी डिवोर्स के लिए अर्जी प्रस्तुत की थी

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा हिंदू विवाह कोई नाचने गाने या खाने पीने का इवेंट नहीं है ना ही यह व्यापारिक लेनदेन है
इस याचिका पर सुनवाई जस्टिस बीवी नागरत्ना और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच के द्वारा की जा रही थी जिसमें इन्होंने संयुक्त रूप से कहा कि हिंदू विवाह एक संस्कार और एक धार्मिक उत्सव है, विवाह से संबंधित हिंदू धर्म में रीति-रिवाज को समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है

बेंच ने अपने निर्णय में संविधान के अनुच्छेद 142 का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों पायलट्स कानूनन शादीशुदा नहीं हैं। क्योंकि इन्होंने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विवाह संपन्न नहीं किया था । कोर्ट ने उनके मैरिज सर्टिफिकेट को अवैध घोषित कर दिया। कोर्ट के द्वारा तलाक की अर्जी को भी खारिज कर दिया गया है साथ ही महिला पायलट द्वारा अपने लविंग पार्टनर और उसके परिवार पर लगाए गए दहेज के केस को भी खारिज कर दिया गया है।

Result

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में युवाओं को निर्देश देते हुए कहा है कि विवाह करने से पहले एक बार अच्छी तरह से विचार विमर्श कर लें। क्योंकि विवाह कोई नाचने गाने खाने-पीने का इवेंट नहीं है नाही विवाह कोई ऐसा मौका है जहां आप एक दूसरे पर दबाव डालकर दहेज और तोहफों की लेनदेन करें। विवाह कोई व्यापारिक लेनदेन नहीं है जिसे बाद में केस होने की संभावना बनी

कोर्ट ने आगे अपने निर्णय में कहा कि हम भारतीय युवा तथा युवतियों से कहना चाहते हैं विवाह करने से पहले समाज में इसके महत्व को समझें तथा इसकी पवित्रता को जाने।

विवाह से न सिर्फ दो लोग साथ नहीं आते हैं, समुदाय भी एकजुट होते हैं :-

विवाह एक ऐसा समझ है जिसमें दो लोग आपस में नहीं आते बल्कि दो समुदाय आपस में आते हैं और जब विवाह विखंडन की अवस्था में पहुंचता है तो दो व्यक्तियों के साथ-साथ समाज में अभी विभाजन होता है कोर्ट ने अपने निर्णय में आगे कहा कि विवाह में पति और पत्नी दोनों बराबर होते हैं इसमें कोई छोटा या बड़े होने की बात नहीं होती
और जो हिंदू विवाह सप्तपदी जैसे सभी रीति-रिवाजों के साथ नहीं हुआ है, उसे हिंदू विवाह नहीं माना जा सकता है।

कोर्ट ने हिंदू मैरिज एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि इसमें बहु विवाह प्रथा की कोई जगह नहीं है जिसके अंतर्गत बहू पति प्रथम या बहू पत्नी प्रथा वैध नहीं मानी जा सकती।
संसद भी यही चाहती है कि अलग-अलग रीति-रिवाज और परंपराओं वाला एक ही प्रकार का विवाह होना चाहिए।

इसलिए कई सदियों के गुजर जाने के बाद और हिंदू मैरिज एक्ट के लागू होने के बाद एक महिला के एक ही पुरुष से और एक पुरुष के एक ही महिला से विवाह को कानूनी तौर पर मान्यता दी गई है।

बेंच ने कहा कि 18 मई, 1955 को लागू होने के बाद से इस कानून ने हिंदूओं में विवाह का एक कानून बनाया है। इसके तहत न सिर्फ हिंदू, बल्कि लिंगायत, ब्रह्मो, आर्यसमाज, बौद्ध, जैन और सिख आते हैं।

कोर्ट ने अपने निर्णय में आगे कहा :- जब तक दूल्हा-दुल्हन इन रस्मों से नहीं गुजरे हैं, तब तक हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 7 के तहत कोई हिंदू विवाह नहीं माना जाएगा और किसी अथॉरिटी की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलने से दोनों पार्टियों को शादीशुदा होने का स्टेटस नहीं मिलेगा, न इसे हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी माना जाएगा।

जब तक दूल्हा-दुल्हन इन रस्मों से नहीं गुजरे हैं, तब तक हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 7 के तहत कोई हिंदू विवाह नहीं माना जाएगा और किसी अथॉरिटी की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलने से दोनों पार्टियों को शादीशुदा होने का स्टेटस नहीं मिलेगा, न इसे हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी माना जाएगा।

कोर्ट ने कहा कि मैरिज रजिस्ट्रेशन के फायदे ये हैं कि इससे किसी विवाद की सूरत में प्रूफ के तौर पर पेश किया जा सकता है, लेकिन अगर हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 7 के तहत शादी नहीं हुई है, तो रजिस्ट्रेशन करा लेने से विवाह को मान्यता नहीं मिल जाएगी।

Result Mera

Topic 2 :– सुपरसोनिक मिसाइल-असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉरपीडो (SMART) प्रणाली

चर्चा में क्यों :– हाल ही में भारत की रक्षा एजेंसी भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) के द्वारा 1 मई 2024 को कलाम आईलैंड उड़ीसा से भारत की एक नई मिसाइल का परीक्षण किया गया।

इस मिसाइल को स्मार्ट मिसाइल नाम दिया गया है।

यह एक लंबी दूरी की सुपरसोनिक एंटी-सबमरीन मिसाइल है. इस मिसाइल पर 50 किलोग्राम वजनी वारहेड लगाया जा सकता है.

इस मिसाइल को स्मार्ट नाम क्यों दिया गया है :–

इस मिसाइल का पूरा नाम सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉरपीडो (Supersonic Missile Assisted Release of Torpedo - SMART) है.

अन्य मिसाइल से किस प्रकार से अलग है :–

स्मार्ट एक मिसाइल ना होकर टॉरपीडो है परंतु इस मिसाइल के सिद्धांत पर डिजाइन किया गया है और मिसाइल के समान ही गति और ताकत प्रदान की गई है
इस टारपीडो में कई प्रकार के मोडिफिकेशन किए गए हैं जिससे यह मिसाइल समंदर में दुश्मन के जहाज, युद्धपोत या पनडुब्बियों को समाप्त कर सके।

Result Mantra

कैसे किया जाता है लॉन्च :-

इस मिसाइल को BEML-Tatra TEL ट्रक से या नौसैनिक युद्धपोत से दागा जा सकता है.
इसका वॉरहेड हाई एक्सप्लोसिव और सेंसिटिव होता है जिस कारण यह टकराते ही अपने टारगेट को पूरी तरह समाप्त कर देता है

यह मिसाइल कैसे काम करती है :-

इस मिसाइल में दो स्टेज की सॉलिड रॉकेट इंजन लगी हुई है. इसमें इलेक्ट्रिक बैट्री से चलने वाली टॉरपीडो का प्रयोग किया गया है.
इस मिसाइल को आगे बढ़ने के लिए सॉलिड फ्यूल और सिल्वर जिंक बैटरी से ताकत मिलती है.
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष डॉ. समीर वी कामत।

Topic 3 :– ग्रीन लिंक्स स्पाइडर

चर्चा में क्यों :– हाल ही में वैज्ञानिकों को ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य में विषेश प्रकार की ग्रीन लिंक्स स्पाइडर की प्राप्ति हुई है।

यह पहला मौका है जब इस प्रकार की स्पाइडर को देखा गया है। इस स्पाइडर को वैज्ञानिकों द्वारा प्युसेसिया छापराजनिर्विन नाम प्रदान किया गया है।

ग्रीन लिंक्स स्पाइडर की विशेषताएं :– यह मकड़ी छोटे-छोटे कीड़ों को भोजन के रूप में खाती है
यह स्पाइडर निशाचर प्रकार का जीव है
(निशाचर :– उन प्राणियों को कहते हैं जो रात में विचरण करके भोजन की तलाश करते हैं।)
ये स्पाइडर्स की प्राप्ति झाड़ियों और घास फूस से होती हैं

इन स्पाइडर्स की विशेषताएं :–
ये ऐसे कीड़ों की बड़ी शिकारी हैं जो पादपों को नुकसान पहुंचाते है ।

ताल छापर अभयारण्य

यह अभयारण्य राजस्थान के चुरू जिले में भारतीय थार रेगिस्तान की सीमा पर स्थित है।
ताल छापर को अभयारण्य का दर्जा 1966 में दिया गया।

विशेष तथ्य :–
ताल छापर क्षेत्र एक समय बीकानेर के शाही परिवार के शिकार के लिए प्रयोग किया जाता था।
वर्तमान में ताल छापर अभयारण्य "द ब्लैकबक" का एक विशिष्ट आश्रय के लिए प्रसिद्ध है।

"ताल" शब्द kav राजस्थानी भाषा में अर्थ होता है समतल भूमि।

Result Mitra